श्री सभापति: इसमें मैं क्या करूं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: आप इनको निर्देशित करें वे स्पष्ट उत्तर दें। आप निर्देशित कर सकते हैं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: In his next Question Hour he can give this reply since it may not be available with him now. He can reply on the number of accidents and the number of deaths, how much is the claim and how much has been settled, year-wise. Those figures can be laid on the Table.

SHRI SHANTA RAM LAXMAN NAIK: On the Konkan Railway route, there are land slides; boulders come there and mud too is deposited. I would like to know whether this anti-collision device operates only against the on coming trains, or, also against boulders and mud.

SHRI R. VELU: Anything on the track can not be sensed by the anti-collision device and action would be there by the drivers. If the action is not taken by the drivers, then, there would be automatic action. That much I can assure.

*84. [The questioner (Shri S.S. Ahluwalia) was absant.For answer *vide* page 29]

Shortage of wheat stock

†*85. SHRI C. RAMACHANDRAIAH:
SHRI MANOJ BHATTACHARYA:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the stock of wheat with Government agencies has plummeted to an all-time low barely enough to meet the stipulated buffer stock norms;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken to augment the wheat stock to ensure food security and to enable Government to meet its other commitments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri C. Ramachandraiah.

(a) and (b) The stock of wheat in the Central Pool as on 1st July, 2005 was 144.54 lakh tonnes, which is not all time low, although it is below the existing buffer norm of 171 lakh tonnes. However, it is sufficient to meet the requirements under the Targetted Public Distribution System (TPDS) and Welfare Schemes.

(c) Following steps have been taken to ensure adequate availability of wheat and augment the stocks of wheat in the country and also to check any possibility of rise in prices:

(i) The ratio of rice and wheat in the allocation of foodgrains to Below Poverty Line (BPL), and Above Poverty Line (APL) families under TPDS has been streamlined keeping in view of the food habits of all States/UTs.

(ii) Adequate quantity of wheat is issued under Welfare Schemes.

(iii) It is ensured that there is adequate stock of wheat in all regions of the country.

(iv) The wholesale and retail prices in all major centres of the country are monitored on weekly basis.

(v) Appropriate quantity of wheat is released under the Open Market Sales Scheme (OMSS) whenever required, to keep a check on prices.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the falling stocks of wheat is a very serious issue in this country. First of all, we have to realise that a major chunk of the population lives below the poverty-line in this country. We should always maintain buffer stock so that the country will have food security. Now, the country cannot afford to become an importer of foodgrains having achieved self-sufficiency in foodgrains. The question, therefore, I want to ask the Minister is: What is the official level of buffer stock that has been fixed for the country and how much surplus wheat stock do we have, over and above the buffer stock?

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, आज गेहूं की जो स्थिति है, हमारे देश में 144.20 लाख टन गेहूं हम लोगों के पास उपलब्ध है। बफर स्टॉक, आज की तारीख में 171 लाख

टन गेहूं का रहना चाहिए, उससे निश्चित रूप से कम है, लेकिन आपके माध्यम से न केवल माननीय सदस्य को बल्कि पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि गेहूं की कोई कमी नहीं है और हम लोग गेहूं इम्पोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। एक साल में एक तिमाही बीत चुका है और 9 महीने के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध है। प्रति माह 15 लाख टन गेहूं की आवश्यकता हमारे देश में है और बचे हुए 9 महीनों के लिए 135 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। इसलिए माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त गेहूं उपलब्ध है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the Government of India is committed to the nation in starting a National Food-for-Work Programme in the poorest districts of the country. You are going to make a legislation also on the National Employment Guarantee Scheme in which the food component is substantial. Of course, it has been delayed. My concern is more about the availability of foodgrains for this programme. The stocks of wheat have actually fallen. Are we maintaining enough stocks to pursue this programme which the Government of India has undertaken so ambitiously? Otherwise, how is the Government contemplating on replacing this programme? Is there any programme to replace this programme, or, do you want to continue this programme? How are you going to equip yourself with the food component that is needed for this programme? I need a specific answer and not a vague answer.

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य के सवालों का मैं स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं, वे चिंता नहीं करें।

श्री सभापति: आप तो मेरी चिंता करें, जल्दी से जवाब दे दें, तो मैं एक-दो सवाल और ले लूं।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य की चिंता है, मैंने पहले भी कहा कि 144 लाख टन गेहूं अभी हम लोगों के पास मौजूद है और यह पहली बार नहीं है कि बफर स्टॉक में कम गेहूं हुआ है। मैं पहले का भी बता सकता हूं कि 1.7.99 को यह 109.22 लाख टन था, 1.7.92 को 64.82 लाख टन गेहूं इसमें था, 1.7.97 को 114.20 लाख टन पूर्व में भी रहा है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में गेहूं का प्रोडक्शन पिछले साल कम हुआ, इसलिए प्रोक्योरमेंट भी वहां कम हुआ, लेकिन साथ-साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे पी॰डी॰एस॰ का कार्यक्रम रहा हो या दूसरे जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, उनके लिए कहीं भी अनाज की कोई कमी नहीं है।

श्री मनोज भट्टाचार्य: सर, मेरी मुश्किल है कि जो सवाल मैंने पूछने के लिए सोचा था, अगर यहां सीनियर मिनिस्टर होते, तो मैं पूछता, लेकिन वह मैं नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि ये मंत्री

जी अभी नए हैं। इनसे मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं जिस पर अभी चर्चा भी हुई। तो सवाल यह है मंत्री जी कि यहां आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। आंकड़े होते हुए भी यह कहना चाहिए कि पिछले पंद्रह सालों में, जितना पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में पूंजी निवेश होना चाहिए था, उसमें काफी कमी आई है। दूसरे, जिसको ग्रॉस कैपिटेल फॉर्मेशन कहा जाता है, एग्रीकल्चरल सैक्टर में, उसमें भी काफी कमी आई है। इससे यह साबित होता है कि अगर इस तरह का ट्रैंड चले तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल, The food security will be Threatened and it has already been discussed. I would like to know whether the Government is in a position to take a view of the total situation. पूरी स्थिति को मद्दे-नजर रखते हुए सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बारे में सोच रही है या नहीं? कोई Paradigm shift हो रहा है या नहीं? यह सिर्फ चर्चा करने की बात नहीं है, सिर्फ आंकड़े देने की बात नहीं है। Paradigm shift के बारे में आप या आपका डिपार्टमेंट कुछ सोच रहा है या नहीं? इसको आइडेंटिफाई किया है या नहीं कि यह कम क्यों हो रहा है? क्यों एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इतना डिक्लाइन हो रहा है?

MR. CHAIRMAN: Please... That is enough. (*Interruptions*)...

श्री मनोज भट्टाचार्य: पूंजी निवेश कम क्यों हो रहा है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हो रहा है? इसके लिए आप क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं?

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, वैसे तो यह इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhattacharya, please take your seat.

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: मूल सवाल गेहूं से जुड़ा हुआ है। गेहूं के बारे में मैंने आपको बताया है और आप जो वृहत् सवाल कर रहे हैं, तो यहां की खेती वर्षा पर आधारित है और यदि अकाल की स्थिति या कोई ऐसी विपरीत स्थिति पैदा हो जाए, तो सरकार उसके अनुसार काम करती है, स्टैप उठाती है। अभी आपने जो सवाल उठाया है, उसका उत्तर मैंने दिया है और जो दूसरा सवाल आप पूछेंगे, मैं वह भी बताऊंगा।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: If the Chair permits, we should have a discussion on this because this is a very important subject.

श्री सभापति: ठीक है, बैठिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बफर स्टॉक की कमी का एक कारण सरकार के पास गोदाम की

कमी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर यह बात सही है, तो बफर स्टॉक रखने के लिए ज्यादा और नए गोदाम बनाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, बफर स्टॉक में कमी का कारण गोडाउन नहीं हैं, प्रोडक्शन की कमी है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। जहां तक गोडाउन बनाने का सवाल है, पहले भी एफ॰सी॰आई॰ ने '7 ईयर गारंटी स्कीम' पूरे देश में लागू की थी। बहुत से गोडाउन बने हैं। अभी भी जम्मू एंड कश्मीर तथा नार्थ ईस्टर्न स्टेट में वह स्कीम चल रही है और उसके तहत गोडाउन बन रहे हैं। यदि और भी ऐसे गोडाउन्स की आवश्यकता होगी तो सरकार निश्चित रूप से गोडाउन बढ़ाने और बनाने पर विचार करेगी, लेकिन इससे बफर स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: There is a mystery of missing nine lakh tonnes of wheat. As the Minister said, the monthly requirement is 15 lakh tonnes and according to that the annual requirement is 180 lakh tonnes. The norm is 171. There is a missing of 9 lakhs tonnes. If the utilisation is 15 lakhs of tonnes per month, then it is 135 lakh tonnes for a months. If the presentation is 144 lakh tonnes, you have got 9 lakh tonnes extra. While in the norm you have got nine lakh tonnes short. In the existing situation, you have got 9 lakh tonnes excess. The question that I want to put is: what is the rate of monthly depreciation? Now it is 144 lakhs and by the end of 9 months quite a lot will be eaten away by rats and will be rotting because of other circumstances. What is the rate of monthly depreciation in wheat stock?

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, बफर स्टॉक विपरीत परिस्थितियों के लिए रखा जाता है, फूड सिक्युरिटी के लिए रखा जाता है। जब देश के सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, उसके लिए हम बफर नार्म्स मेंटेन करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी उत्तर में बताया है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार और भी स्टेप्स ले रही है, विचार कर रही है कि गेहूं, चावल के अनुपात में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। जिस स्टेट में ज्यादा गेहूं खाने वाले लोग हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: चलो छोड़िए, सब लोग बिल्कुल समझ गए हैं। ...(**व्यवधान**)... सब समझ गए हैं क्वेश्चन को। डा॰ मुरली मनोहर जोशी।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मेरा छोटा सा सवाल है, यहां पर फूड सिक्युरिटी के संबंध में सवाल किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में फूड सिक्युरिटी के लिए प्रति व्यक्ति, वर्ष भर में कितने किलोग्राम की आवश्यकता

है और क्या हिन्दुस्तान में उतना अनाज पैदा हो रहा है, कि हम प्रति व्यक्ति उतना उपलब्ध करा सकें? मेरी जानकारी के अनुसार ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जानकारी मत दीजिए, इनका उत्तर सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं केवल यह पूछना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... कि क्या दो सौ किलोग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष आप उपलब्ध करा रहे हैं?

श्री सभापति: यदि आपको जानकारी हो तो जवाब दे दीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: बाद में दे देना।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: हां ठीक है।

*86. [The questioner Shri T.T.V. Dhinakaran was absent. For answer *vide* page 37.]

राजस्थान में 'एम्स' जैसे अस्पताल

*87. **डा॰ प्रभा ठाकुर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स अस्पताल) की भांति राजस्थान में भी ऐसा ही अस्पताल स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में अस्पताल स्थापित करने के संबंध में आवश्यक सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(ग) यह अस्पताल राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा तथा अस्पताल की अनुमानित लागत और क्षमता क्या निश्चित की गई है तथा अस्पताल का निर्माण कार्य कब से आरंभ हो जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा॰ अन्बूमणि रामदास): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ, जोधपुर, राजस्थान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है। उक्त संस्थान जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान परिसर में निर्धारित किए गए 100 एकड़ भूखण्ड पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह संस्था स्थापित किए जाने के लिए स्थान का चयन केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करने के बाद